भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 93
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

उच्चतर शिक्षा के लिए एनआईआरएफ रैंकिंग

†93. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग के तहत विचार किए गए मापदंडों, जिसमें प्रत्येक पैरामीटर को दिया गया वेटेज भी शामिल है, का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या एनआईआरएफ वाणिज्यिक डेटाबेस से ग्रंथसूची पर निर्भर करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा एनआईआरएफ रैंकिंग को पारंपरिक शोध योगदान से परे विस्तारित करने और रैंकिंग प्रक्रिया में उद्योग, नवाचार और सामाजिक प्रभाव जैसे गुणात्मक कारकों को शामिल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार भाग लेने वाले संस्थानों से स्व-रिपोर्ट किए गए डेटा में सारव और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या रैंकिंग के लिए मात्रात्मक दृष्टिकोण के बजाय अधिक गुणात्मक दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन या रिपोर्ट शुरू की गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ़) देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों को रैंक निर्धारित करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार करता है। यह पद्धति विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए व्यापक मापदंडों की पहचान करती है, जिसमें

“शिक्षण, सीखना और संसाधन”, “शोध और व्यावसायिक अभ्यास”, “स्नातक परिणाम”, “प्रसार और समावेशिता” और “धारणा” शामिल हैं। प्रत्येक मानदंड को दिए गए वेटेज का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): एनआईआरएफ वाणिज्यिक डेटाबेस से ग्रंथसूची पर निर्भर करता है। प्रकाशनों, उद्धरणों और अत्यधिक उद्धृत प्रकाशनों पर डेटा स्कोपस (एल्सेवियर साइंस) और वेब ऑफ साइंस (क्लेरिवेट एनालिटिक्स) द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि डर्वेंट इनोवेशन पेटेंट संबंधी डेटा प्रदान करता है।

(ग) से (ङ): रैंकिंग का मौजूदा ढांचा न केवल मात्रात्मक कारकों पर विचार करता है, बल्कि प्रसार और समावेशिता, एकाधिक प्रवेश-निकास, एसडीजी पर प्रकाशन आदि जैसे गुणात्मक कारकों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा, भारत रैंकिंग 2024 में, एनआईआरएफ ने नवाचार, स्टार्ट-अप और उद्यमिता की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवाचार रैंकिंग की एक नई श्रेणी शुरू की है।

डेटा की प्रामाणिकता और उपयुक्त प्रविष्टि की जिम्मेदारी भाग लेने वाले संस्थानों की है। हालाँकि, एनआईआरएफ संबंधित संस्थानों के परामर्श से डेटा के मुद्दों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के लिए त्रिकोणीय पद्धति का उपयोग करता है। हितधारकों (जिसमें एक या अधिक संस्थानों में रुचि रखने वाले आम लोग या अन्य व्यक्ति या संस्थाएँ शामिल हैं) को समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से संस्थानों द्वारा प्रस्तुत डेटा पर "ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम" के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

*****

अनुलग्नक

श्री श्रीभारत मथुकुमिल्ली द्वारा पूछे गए दिनांक 25.11.2024 को वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 93 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

"समग्र श्रेणी" के संबंध में विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए पैरामीटर-वार विवरण नीचे दिए गए हैं:

1. शिक्षण, अधिगम और संसाधन (टीएलआर) **100** अंक (रैंकिंग भार: **0.30)**
   i. डॉक्टरेट छात्रों (एसएस) सहित छात्रों की संख्या: 20 अंक
   ii. स्थायी संकाय पर जोर देने के साथ संकाय-छात्र अनुपात (एफएसआर): 25 अंक
   iii. पीएचडी (या समकक्ष) और अनुभव (एफक्यूई) वाले संकाय के लिए संयुक्त मीट्रिक: 20 अंक
   iv. वित्तीय संसाधन और उनका उपयोग (एफआरयू): 20 अंक
   v. ऑनलाइन शिक्षा: पाठ्यक्रम और परीक्षा का ऑनलाइन समापन और स्वयं (ओई): 10 अंक
   vi. मल्टीपल एंट्री/एग्जिट, भारतीय ज्ञान प्रणाली और क्षेत्रीय भाषाओं (एमआईआर) के लिए संयुक्त मीट्रिक: 5 अंक

2. **अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (आरपी) 100 अंक (रैंकिंग भार: 0.30)**
   i. प्रकाशनों के लिए संयुक्त मीट्रिक (पीयू): 30 अंक
   ii. प्रकाशनों की गुणवत्ता (क्यूपी) के लिए संयुक्त मीट्रिक: 30 अंक
   iii. आईपीआर और पेटेंट: प्रकाशित और स्वीकृत (आईपीआर): 15 अंक
   iv. परियोजनाओं और व्यावसायिक अभ्यास का पदचिह्न (एफपीपीपी): 15 अंक
   v. एसडीजी (पीएसडीजी) में प्रकाशन और उद्धरण के लिए संयुक्त मीट्रिक: 10

3. **स्नातक परिणाम (जीओ) 100 अंक (रैंकिंग भार: 0.20)**
   i. विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए मीट्रिक (जीयूई): 60 अंक
   ii. पीएचडी उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के लिए मीट्रिक (जीपीएचडी): 40 अंक

4. **आउटरीच और समावेशिता (ओआई) 100 अंक (रैंकिंग भार: 0.10)**

i. अन्य राज्यों/देशों से आए छात्रों का प्रतिशत (क्षेत्रीय विविधता आरडी): 30 अंक

ii. महिलाओं का प्रतिशत (महिला विविधता डब्ल्यूडी): 30 अंक

iii. आर्थिक और सामाजिक रूप से विकलांग छात्र (ईएससीएस): 20 अंक

iv. शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए सुविधाएं (पीसीएस): 20 अंक

5. **धारणा (पीआर) 100 अंक*(रैंकिंग भार: 0.10)**

   i. सहकर्मी धारणा: शैक्षणिक सहकर्मी और नियोक्ता (पीआर): 100 अंक

* हालांकि, पीआर पैरामीटर में विश्वविद्यालयों के लिए, **70%** वेटेज समकक्ष धारणा को और **30%** मान्यता को दिया गया।

*****